न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/23/2019 प्रार्थन पत्र दायर दिनांक 18.07.2019

उनवान

1. रतन पिता शंकर जाति माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता नानुराम जाति खटीक निवासी कपासन हाल मुकाम मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. किशन पिता गोपीलाल जाति माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. हेमा पिता गोपीलाल जाति माली निवासी मालीखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 20.08.19

—:निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का माली खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में हाल अराजी नम्बर 380 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 381 रकबा 0.71 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 87 है0 स्थित है।

उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक वादगत आराजी संख्या 381 रकबा 0.71 है0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है जबकि वादगत आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रार्थी ने निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जाकर के अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत आराजीयात में अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य नही करें एवं प्रार्थी का कब्जा नही हटावे

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Scanned by CamScanner

तथा अप्रार्थी संख्या 4 राजस्व रेकार्ड में कोई परिर्वतन नही करे, ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वंय करे न ही किसी अन्य व्यक्ति नौकर, ऐंजेंट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारी से भी नही करावें।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 शातिंलाल द्वारा अपना आवासीय प्लाट उक्त प्लाट को स्वामी लक्ष्मीदेवी पत्नी वरदी चंद माली निवासी मालीखेडा से जरिये दो रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के दिनांक 29.01. 2019 को क्रय किया है तथा मु0 लक्ष्मी देवी ने उक्त प्लाट ग्राम पंचायत कानाखेडा से जरिये पट्टा दिनांक 01.09.2000 से क्रय किया है तथा क्रय करने के समय से उक्त प्लाट पर मु0 लक्ष्मी देवी का कब्जा था व उसके बाद शातिंलाल का कब्जा है, मु0 लक्ष्मी देवी ने उक्त प्लाट पर निर्माण कर कमरा चबुतरा, बरामदा, खिडकी आदि बनानेके लिए दिनांक 06.12.2004 को ग्राम पांचायत कानाखेडा से पत्रावली दिनांक 66/2004–2005 के जरिये विधिवत निर्माण ईजाजत ली है व निर्माण किया है व विपक्षी न0 1 शातिंलाल द्वारा भी विधिवत निर्माण कराया जा रहा है इसी प्रकार विपक्षी न0 2, 3 ने भी उक्त आवासीय प्लाट ग्राम पंचायत कानाखेडा से दिनांक 17.12.1999 को जरिये विक्रय विलेख क्रय किये है व काबिज है व मकान आदि का निर्माण किया है। इस प्रकार विपक्षीगण के प्लाट व मकानात आबादी आराजी नम्बर 382 में है उक्त प्लाटो पर प्रार्थी का कोई स्वामित्व व कब्जा नही है तथा प्रार्थी दिगर सहखातेदारों के साथ आराजी नम्बर 380–381 का खातेदार है तथा उक्त कृषि भूमि में कोई अतिक्रमण या निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी ने पूर्व में भी विपक्षी नम्बर 2, 3 के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश में इसी आशय का निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि निरस्त किया गया है। प्रार्थी जानबुझकर इस सिविल प्रकरण के तथ्यों को छुपाकर अब इस न्यायालय से गलत तरीके से अनुतोष चाहता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल हाल जमाबन्दी पेश की गई। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.09.2000 को लक्ष्मीदेवी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख, ग्राम पंचायत कानाखेडा द्वारा दिनांक 06.12.2004 को लक्ष्मीदेवी के पक्ष में जारी निर्माण स्वीकृति, निर्णय सिविल न्यायाधीश दिनांक 06.04.2018 की फोटोप्रतियां पेश की

(अभिषेक ...)
सहायक कलेक्टर एवं
... अधिकारी, भूपालसागर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण स्वयं के खरीदशुदा आवासीय प्लाट पर काबिज है व मकान आदि का निर्माण किया है, यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी 2,3 के विरूद्व सिविल न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त कर दिया गया है प्रार्थी ने इन तथ्यों को छुपाकर प्रकरण पेश किया अतः आबादी भूमि के संबंध में प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्व सहायक कलक्टर से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कृपि अराजीयात 380 व 381 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना प्रथम दृष्ट्या दर्शित हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश ग्राम पंचायत कानाखेडा द्वारा लक्ष्मीदेवी के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख , लक्ष्मीदेवी के पक्ष में जारी निर्माण स्वीकृति तथा लक्ष्मीदेवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूखण्ड को बेचने हेतु रजिस्टर्ड विकय–पत्र की प्रति पेश की। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र में लक्ष्मीदेवी द्वारा खरीददार अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सौपने का तथ्य अंकित है। लिहाजा प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीदशुदा आवासीय भूखण्ड पर निर्माण करना दर्शित है। अप्रार्थी संख्या 2,3 के पक्ष में निष्पादित विकय–विलेख से भी अप्रार्थी संख्या 2,3 का पट्टेशुदा भूखण्ड पर प्रथम दृष्ट्या कब्जा दर्शित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी 2069–72 से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 382 रकबा 0.01 हैक्टेयर आबादी व 0.07 हैक्ट0 रास्ता में दर्ज है। मि0 क्षै0 के अनुसार 382 के साबिक नम्बर 256 मीन व 257 थे जो साबिक जमाबन्दी 2025–28 में भी आबादी व रास्ते में दर्ज है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामले का बिन्दु ही अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है।

चुकिं प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामले का बिन्दु ही अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है। यदि फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर किसी भी दृष्टि से पाबन्द किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को कारित होगी

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एव
अधिकारी, भूपालसागर

Scanned by CamScanner

क्योंकि वे अपने खरीदशुदा, पट्टेशुदा काबिज भूखण्ड पर ही निर्माण कार्य कर उसका उपयोग उपभोग नही कर पाएंगे।

उपरोक्तानुसार सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व विनिश्चत किए जाते है।

चूकिं प्रार्थी, प्रथम दृष्टया मागला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

परिमाणतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उपरोक्त विवेचन का मूल वाद के गुणवगुण पर कोई प्रभाव नही समझा जावें।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner